नियमावली

1. संस्था का नाम : [illegible] शिक्षा [illegible], [illegible], [illegible]

2. संस्था का कार्यालय : 479 [illegible]नगर, जबलपुर
तहसील एवं जिला : जबलपुर (मध्य प्रदेश)

3. संस्था का कार्य क्षेत्र : जबलपुर संभाग

4. संस्था का उद्देश्य : निम्नानुसार है :-

1. नई पीढ़ी की आधुनिक और नैतिक शिक्षा एवं विकास की [illegible] व्यवस्था करना ।
2. के०जी० और प्रायमरी से लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूलों और [illegible] स्तर तक शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं व्यवस्था करना ।
3. छात्रों एवं छात्राओं के लिये तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण [illegible] अलग अलग व्यवस्था करना [illegible] वे आत्म निर्भर हो सकें ।
4. प्रौढ़ शिक्षा के [illegible] की स्थापना एवं व्यवस्था करना ।
5. निर्धन अनाथ [illegible] तथा [illegible] अनुसूचित जाति [illegible] अनुसूचित जनजाति [illegible] उत्थान हेतु कार्य करना ।
6. समाज के सामाजिक कल्याण हेतु कार्य करना ।
7. समान उद्देश्य वाली अन्य [illegible] संस्थाओं का [illegible] करना एवं संचालन करना ।
8. [illegible] उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन [illegible] करना ।

5. सदस्यता :- संस्था के निम्न श्रेणी के सदस्य होंगे :-

अ- संरक्षक सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये दो हजार [illegible] देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

ब- आजीवन सदस्य :- कोई भी व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये दो हजार देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा ।

स- साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रुपये पाँच [illegible] [illegible] वर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा ।
साधारण सदस्य [illegible] उसी अवधि के लिये होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है । जो साधारण सदस्य [illegible] [illegible] 3 माह तक चंदा नहीं देगा [illegible] [illegible] ऐसे सदस्य [illegible] संस्था [illegible] [illegible] की राशि देने पर पुनः सदस्य [illegible] ।

प्राचार्य,
[illegible] हायर से. स्कूल
[illegible] जबलपुर

द- सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है । ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसे आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
2. भारतीय नागरिक होना चाहिये ।
3. संस्था के नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सदाचारी हो ।
5. पागल, दिवालिया या दुराचारी न हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- सदस्यों की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल, दिवालिया या विक्षिप्त हो जाने पर ।
3. नियमानुसार सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने पर ।
4. त्याग पत्र देने एवं स्वीकृत हो जाने पर ।
5. संस्था विरोधी गतिविधियों एवं चारित्रिक दोष होने पर कार्यकारिणी के निर्णयानुसार निष्कासित किये जाने पर जिसके निर्णय पारित हो जाने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।

9. सदस्य पंजी :- संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्योरे दर्ज होंगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम सकापता एवं व्यवसाय ।
2. सदस्य का प्रवेश दिनांक एवं सदस्यता शुल्क की रसीद का क्रमांक ।
3. सदस्यता समाप्त होने की तारीख ।

प्राचार्य,
न्यू आकांक्षा हायर से. स्कूल
कमरेता जबलपुर

Shrubu

कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष

10- अ- साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शायी श्रेणी में हुआ करेगी । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी किन्तु वर्ष में एक बैठक होना अनिवार्य होगा । बैठक की तिथि, माह व स्थान तथा समय आदि का निर्धारण कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जावेगा जिसकी सूचना समस्त सदस्यों को 15 दिन पूर्व दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। प्रथम आम सभा संस्था के पंजीयन की तिथि से तीन माह के भीतर बुलायी जावेगी जिसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा । यदि आम सभा का आयोजन किसी कारण नहीं किया गया है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में करे तथा विधिवत पदाधिकारियों का चुनाव करावे ।

ब- प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा एवं सूचना बैठक की तिथि से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों का होगा । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जा कर उसी स्थान पर दूसरे किसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की आवश्यकता न होगी ।

स- विशेष बैठक :- यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन किया जाता है तो उनके दर्शाये गये बिन्दु पर विचार करने के लिये साधारण सभा की विशेष बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जावेगी । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश या परामर्श देने का पूर्ण अधिकार होगा ।

द- माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल, नियम क्रमांक 81(m) के तहत शाला संचालन हेतु एक शाला प्रबंध समिति का गठन किया जावेगा जिसमें संस्था के समस्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रबंध समिति के तीन सदस्य एवं शाला [illegible] लोक शिक्षण का एक प्रतिनिधि होगा ।

प्राचार्य,
न्यू आकांक्षा हायर से. स्कूल
[illegible], जबलपुर

11. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

क- संस्था का गत वर्ष का वार्षिक विवरण तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्वीकार करना ।

ख- संस्था की स्थायी निधी एवं सम्पत्ति की उचित व्यवस्था करना ।

ग- आगामी वर्ष के लिये लेखा परिक्षकों की नियुक्ति करना ।

घ- ऐसे अन्य विषयों पर विचार करना जो कि प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत किये जावें ।

च- संस्था द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं का आय- व्यय पत्रकों को स्वीकार करना ।

छ- बजट का अनुमोदन करना ।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम-8 की कंडिका 1, 2 एवं 3 में दर्शाये गये सदस्य जिनके नाम पंजी में दर्ज [illegible] की बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा । [illegible] पदाधिकारी की पद संख्या निम्नानुसार होगी :-

1. अध्यक्ष	(एक)
2. उपाध्यक्ष	(एक)
3. सचिव	(एक)
4. कोषाध्यक्ष	(एक)
5. संयुक्त सचिव	(एक)
6. सदस्य	(दो)

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । [illegible] कारण होने पर समिति उस समय तक जब तक कि नयी कार्यकारिणी का निर्माण नियमानुसार नहीं हो जाता है कार्य करती रहेगी । किन्तु अवधि [illegible] माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबंध कारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अ- जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का [illegible] हुआ है उसकी पूर्ति करना और उस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

प्राचार्य,
[illegible] आकांक्षा हायर से. स्कूल
[illegible], जबलपुर

Shanbay

कोषाध्यक्ष   सचिव   अध्यक्ष

ब- पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षण किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

स- समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था के चल - अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

द- कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

इ- अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जावें ।

य- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति [illegible] कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

फ- संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना विक्रय द्वारा दान अथवा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी ।

ल- विशेष बैठक में [illegible] नियमों में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर [illegible] की बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 मत से [illegible] संशोधित प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

15. <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> :- अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । इन बैठकों का आयोजन वह सचिव के द्वारा करवायेगा । विचाराधीन विषयों पर समान मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णयात्मक होगा ।

16. <u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u> :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा एवं अध्यक्ष के सभी अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17. <u>सचिव के अधिकार</u> :-

अ- साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की [illegible] बुलाना और [illegible] ।

ब- समिति के आय-व्यय का [illegible] लेखा परीक्षण करा कर प्रतिवेदन [illegible] साधारण सभा में प्रस्तुत करना ।

प्राचार्य,
न्यू आकांक्षा हायर से. स्कूल
[illegible] जबलपुर

[illegible] ..6

स- समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा रखवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

द- सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में पांच सौ रुपये तक व्यय करने का अधिकार होगा। ऐसे व्यय को प्रबंधकारिणी की आगामी बैठक में स्वीकृत कराना होगा।

सहायक सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में [illegible]

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :-** समिति की समस्त धनराशि का हिसाब रखना तथा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत मदों पर या सचिव की लिखित सूचना होने पर निर्धारित व्यय करना।

19. **बैंक खाता :-** संस्था की समस्त निधि की अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपया सौ होगा।

20. **पंजीयक को भेजी जानेवाली जानकारी :-** अधिनियम की धारा 27 के अनुसार संस्था की प्रत्येक आम सभा होने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची भेजी जायेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

21. **संशोधन :-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22. **विघटन :-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 बहुमत से पारित किया जायेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

23. **सम्पत्ति :-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुमति के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्पित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

प्राचार्य,
[illegible] आकांक्षा हायर से. स्कूल
[illegible], जबलपुर

कोषाध्यक्ष   सचिव   अध्यक्ष

...7

24. <u>बैंक खाता</u> :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जायेगा एवं समय समय पर धन जमा करने एवं निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

25. <u>पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना</u> :- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्मस एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. <u>विवाद</u> :- संस्था या संस्था द्वारा संचालित अन्य समितियों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसे सुलझाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । वह साधारण सभा में बहुमत के आधार पर ऐसे मामलों को सुलझायेगा । यदि ऐसे निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो विवाद पंजीयक महोदय के पास निर्णय हेतु भेजे जायेंगे । पंजीयक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं अथवा प्रबंधकारिणी के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार पंजीयक को होगा ।

कोषाध्यक्ष　　　　सचिव　　　　अध्यक्ष

प्राचार्य,
आकांक्षा हायर से. स्कूल

प्रमाणित प्रतिलिपि
28/10/92